(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1982 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 7/16–17/अपील.

1–नरसिंह पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र

2–धारासिंह पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र

3–माखनसिंह पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र

निवासी गण ग्राम तरावली तहसील गैरतगंज

जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

हेमराज पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र

निवासी मकान नं.103, आजाद नगर

अशोका गार्डन भोपाल

.....अनावेदक

.....

श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार की नामान्तरण पंजी कमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 24–5–1991 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अनावेदक मजदूरी करता है और उसके हिस्से की भूमि पर उसके भाईयों द्वारा कृषि कार्य किया जाता रहा है, बाद में उसके भाईयों ने मिलजुलकर उसकी भूमि पर भी अपना नाम दर्ज करा लिया है । अतः आवेदक की ग्राम तरावली तहसील गैरतगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 85, 86/1, 85/2, 87 कुल रकबा 17.30 एकड़ भूमि उभयपक्ष में बराबर बॉटी जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12–7–2016 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–5–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ भेजा गया कि दो माह की समयावधि में अनावेदक को उसकी पैतृक भूमि में पात्रता अनुसार भूमि दी जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन किया जाये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा वर्ष 1998 में प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के नाम कर दी, इसके पश्चात् आज दिनांक तक उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अनावेदक को प्रारंभ से ही तहसीलदार के नामान्तरण की जानकारी रही है । इसके बावजूद भी 19 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि अत्यन्त अवधि बाह्य थी, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

(2) यदि अनावेदक तहसीलदार के नामान्तरण आदेश से व्यथित था, तब उसके अपील प्रस्तुत करना चाहिये थी, परन्तु उसके द्वारा विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में अवैधानिकता की गई है।

(3) राजस्व अभिलेखों में से अनावेदक का नाम इकरारनामा के आधार पर कम किया गया है और अनावेदक द्वारा 19 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) अनावेदक के हिस्से की भूमि आवेदक द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व कय कर ली गई थी और अनावेदक 30 वर्षो से भोपाल में निवास कर रहा है इसलिये उसे नामान्तरण आदेश की प्रारंभ से ही जानकारी रही है ।

4/ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी कमांक 39 में पारित आदेश दिनांक 22–02–1998 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि अनावेदक हेमराज का नाम उसकी अनुपस्थिति में उसकी सहमति बताकर कम किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा उक्त अपील प्रकरण में राजस्व न्यायालय के रूप में प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अवैधानिक आदेश निरस्त करने में विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर